संख्या-21/2022/1075/अरसठ-4-2022-1737/2020 टी0सी0

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 02 नवम्बर, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत खाद्यान्न लागत, परिवहन लागत एवं एम०एम०ई० मद में प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भो0प्रा0/1890/2022-23 दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारंभिक शिक्षा 112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102-खाद्यान्न तथा प्रबंधन व्यय आदि (शत-प्रतिशत केन्द्रांश) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में खाद्यान्न लागत मद में केन्द्रांश रु० 3817.05000 लाख एवं एम०एम०ई० मद में केन्द्रांश रु० 2266.61000 लाख अर्थात कुल केन्द्रांश रु० 6083.66000 लाख (रु० साठ करोड़ तिरासी लाख छियासठ हज़ार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एस0एन0ए0 के माध्यम से जारी करने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है-

(1) भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जो बिल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें उसका सीधे भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/ दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्गत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search basiconwww.pariyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रांश एवं बजट की उपलब्धता, विगत वर्षों में निर्गत समस्त धनराशियों (संगत शासनादेशों के अनुसार) का मिलान करते हुए स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।

(7) स्वीकृति की जा रही धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के निर्देशों के क्रम में S.N.A. तथा IA's के द्वारा P.F.M.S. के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आहरित की जाएगी ।

(8) उक्त धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारियों/ निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विवरण/ उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला केन्द्रांश का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-71, लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारंभिक शिक्षा 112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102-खाद्यान्न तथा प्रंबधन व्यय आदि (शत-प्रतिशत केन्द्रांश) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय संख्या-E-11-107-X-2022-23 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

<u>**संलग्नक-यथोक्त**</u>।

भवदीय,
धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव,

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- श्रमायुक्त, कानपुर।
3- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

10- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।

11- समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।

12- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।

13- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।